संख्या-05 /2021/990/22-4-2020-48(7)/17

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 19 जनवरी, 2021

विषय- प्रदेश की कारागारों में स्थापित पाकशालाओं का मशीनीकरण द्वारा आधुनिकीकरण किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28707/आधु0-01/पाकशाला/2020-21, दिनांक-18 नवम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों में स्थापित पाकशालाओं का मशीनीकरण द्वारा आधुनिकीकरण किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न मशीनों, उपकरणों/सामग्री का क्रय किये जाने हेतु रू0 720.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत की शतप्रतिशत धनराशि रू0 720.00 लाख (रूपया सात सौ बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	मूल्य प्रति नग	स्वीकृत धनराशि
1	50 किलो आटा गूँथने की मशीन	26	0.65	16.90
2	चपाती मेकर (1000 रोटी प्रति घंटा)	03	8.50	25.50
3	चपाती मेकर (3000 रोटी प्रति घंटा)	16	11.40	182.4
4	पोटेटो पीलर (25 किलो ग्राम)	50	0.66	33.25
5	वेजिटेबल कटिंग मशीन (150 किलो ग्राम प्रति घंटा)	25	0.68	17.00
6	टिल्टिंग ब्रेसिंग पेन/राइस ब्वायलर 200 लीटर क्षमता	13	1.21	15.80
7	टिल्टिंग ब्रेसिंग पेन/राइस ब्वायलर 300 लीटर क्षमता	15	1.49	22.47
8	03 कम्पार्टमेंट की बेनमेरी 200लीटर प्रति कम्पार्टमेन्ट	25	1.49	37.25
9	चाय कन्टेनर (20 लीटर)	384	0.036	14.01
10	नमक मसाले हेतु तालायुक्त मसालदानी (एसएस)	150	0.135	20.25
11	तेल हेतु ताला युक्त कन्टेनर (एसएस) 15लीटर क्षमता	150	0.098	14.70
12	एसएस भगौना 200 लीटर क्षमता	230	0.24	55.83
13	एसएस केस रोल 2000 रोटी	315	0.119	37.48
14	एमएस कढाई 200 लीटर	134	0.345	46.23
15	दाल वितरण बाल्टी विद हैण्डल 75 लीटर	182	0.115	20.93
16	भोजन वितरण ट्राली (हैवी)	73	0.37	27.15
17	ई-रिक्शा	10	1.90	19.00
18	हैवी स्टैब्लाइजर 50 के0वीए0	53	1.19	63.07
19	इलेक्ट्रिक पैनल/ अर्थिंग का कार्य	54	0.82	44.55
20	एग्जास्ट 1400 आरपीएम	100	0.062	6.20
			योग-	**719.99**
				अर्थात रू0 720.00 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा। सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक-23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक, कारागार पूर्णत: संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(4) उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणों का क्रय न किया जाय।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कर्य/मद में किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि बचती है, तो उसे राजकोष में जमा किया जाएगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत पूंजी लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-21-कारागारों के पाकशालाओं का आधुनिकीकरण-26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण एवं संयंत्र मद" में उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/144/दस/2021, दिनांक-18 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2021/990(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in